न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1024–एक/2013 – विरूद्व आदेश दिनांक 7–3–2013 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 755 बी–121/2011–12 अपील

त्रिभुवन कुमार पालीवाल पुत्र स्व0 किशोरीलाल
निवासी चावॅरपाठा तहसील तेन्दूखेड़ा,जिला नरसिंहपुर
एंव बरमानकलॉ तहसील करेली जिला नरसिंहपुर ----- आवेदक

विरूद्व

1– परमसुख पुत्र गोरेलाल बसोर
2– नर्मदाप्रसाद पुत्र मुल्लु चौधरी
दोनों निवासी परमानकलॉ तहसील करेली
जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एल0एस0धाकड़)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री प्रशान्त कुलकर्णी)

आ दे श

(आज दिनांक 3 –8 –2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 755 बी–121/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–3–2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार करली ने जांच प्रतिवेदन कमांक 61/बी–121/ 20011–12 दिनांक 29.3.12 प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया कि मौजा बनमानकला

स्थित भूमि सर्वे कमांक 16/3 रकबा 0.809 हैक्टर अनावेदक क-1 परमसुख तथा भूमि सर्वे कमांक 16/2 रकबा 0.809 हैक्टर अनावेदक क-2 को (आगे जिन्हें वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) प्रकरण कमांक 14 अ-19/1975-76 से पटटे पर आवंटित की गई थीं , किन्तु इन भूमियों को आवेदक ने अपने नाम करा लिया है। तहसीलदार करली के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 41 बी 121/2011-12 पंजीबद्व कर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 30.8.2012 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमियों को आवेदक के बजाय अनावेदकगण के नाम पूर्ववत दर्ज किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील कमांक 755 बी-121/11-12 प्रस्तुत की. जो आदेश दिनांक 7-3-13 से अग्राह्य की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने स्वमेव निगरानी अतिविलम्ब से की है जो अवधि वाधित थी फिर भी अपर कलेक्टर ने जानबूझकर अवधिवाधित निगरानी में त्रृटिपूर्ण आदेश पारित किया है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि तहसीलदार करली को जब आवेदक के नामान्तरण होने का पता चला, तब उन्होंने अपर कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन दिया है जिसके कारण जानकारी के दिनांक से स्वमेव निगरानी समयसीमा में मानी जावेगी। उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 30.8.12 के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि का अंतरण पटटाग्रहीताओं ने 30.1.1993 को किया है जिस पर से वर्ष 1994-95 के खसरे पर आवेदक का नाम दर्ज हुआ है जैसाकि अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश में अंकित है, यदि वर्ष 1994-95 में आवेदक के नाम वादग्रस्त भूमि नामांत्रित हुई है, अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने तहसीलदार करली के प्रतिवेदन दिनांक 29.3.2012 पर स्वमेव निगरानी दर्ज की है अर्थात वर्ष 1994-95 के लगभग 17 वर्ष के अंतराल में स्वमेव निगरानी दर्ज कर कार्यवाही की है। **निर्मल**

कुमार जैन विरूद्व म0प्र0राज्य एंव अन्य 2007 रा0नि0 399 उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग दस या पन्द्रह वर्ष पश्चात् नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार श्रीमती कमला सिंह विरूद्व श्रीमती अल्कासिंह 2011 राजस्व निर्णय 273 का न्यायिक दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां कुछ मास के भीतर ही प्रयुक्त की जा सकती हैं।

भू राजस्व संहिता , 1959 (म0प्र0) – धारा – 50 – जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गये हों तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि वाधित है और ऐसा विलम्ब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है। विचाराधीन प्रकरण में अपर कलेक्टर नरसिंगपुर ने आवेदक का नाम वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1994–95 में दर्ज होने के लगभग 17 वर्ष के अंतराल वाद स्वमेव निगरानी दर्ज कर कार्यवाही की है जिसके कारण अपर कलेक्टर नरसिंहपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 30.8.2012 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक ने विधिवत् कय की है जिसके आधार पर उसके नाम हुई है किन्तु अपर कलेक्टर ने प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरीत जाकर निष्कर्ष निकाले हैं। अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि पटटे की है, बिना कलेक्टर की अनुमति के विकय हुई और ऐसा विकय शून्यवत् है उन्होंने अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश को सही होना बताया। उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 30.8.12 का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने आदेश दिनांक 30.8.12 में वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नाम अभिलेख से हटाकर अनावेदकगण के नाम किये जाने का आधार लिया है कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नरसिंहपुर के न्यायालय के विशेष प्रकरण कमांक 53/2010 में निर्णय दिनांक 01 जुलाई 2011 के जांच बिन्दु कमांक 34 पर टीप दी गई है कि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–बी) के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति के शासकीय पटटे की भूमि का विकय पत्र निष्पादित नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर उन्होंने वादग्रस्त भूमि के विकय को शून्यवत मानते हुये शासकीय

अभिलेख से क्रेता आवेदक का नाम हटाकर अनावेदकगण के नाम भूमि पूर्ववत किये जाने का आदेश पारित किया है, जबकि **आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0 8** में माननीय उच्च न्यायालीय ने व्यवस्था दी है कि :–

> **"भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) धारा 165 (7–ख) तथा 158 (3) – का लागू होना – उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – उपबन्ध आकर्षित नहीं होते – भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।**
>
> **अभिनिर्धारित – 1959 की संहिता की धारा 165 (7–ख) में यह उल्लेख नहीं है कि यह भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगी। धारा के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि यह भूमिस्वामी व्दारा अर्जित निहित अधिकार छीनती है तथा भूमि के विक्रय के विषय में कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने के संबंध में नया दायित्व श्रृजित करती है या नया कर्तव्य अधिरोपित करती है, अतएव धारा भूतलक्षी प्रवर्तन होने की उपधारणा नहीं की जा सकती। मूल पटटा धारकों नामतः मुख्त्यार सिंह, साहब सिंह तथा विजयसिंह को 1980 के पूर्व जो अधिकार भूमिस्वामी के रूप में प्रदान किये थे वे संहिता के उपयुक्त उपबंधों व्दारा छीने नहीं जा सकता। भूमिस्वामी को भूमि विक्रय करने का निहित अधिकार था तथा उनके अधिकार 1959 की संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतःस्थापन से उन्मुक्त तथा अप्रभावित है। वही स्थिति 1959 की धारा 158(3) के संबंध में है क्योंकि यह 28–10–92 के सॅशोधन व्दारा अंतःस्थापित की गई थी।"**

विचाराधीन निगरानी में विचारित वादग्रस्त भूमि का पटटा अनावेदकगण को तहसीलदार करली के प्रकरण क्रमांक 14 अ–19/1975–76 में पारित आदेश से वर्ष 1975 में जारी हुये हैं और ऐसे पटटेग्रहीताओं के भूमिस्वामी बनने के उपरांत उनके व्दारा भूमि का किया

गया अंतरण अनुचित अंतरण की श्रेणी में नहीं है क्योंकि पटटे वर्ष 1975 के होने से संहिता की धारा **धारा 165** (7–ख) तथा 158 (3) से उन्मुक्त है । स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने आदेश दिनांक 30.8.2012 पारित करते समय उपरोक्त वर्णित अनुसार तथ्यो पर ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 30.8.2012 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर नरसिंहपुर व्दारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 41 बी 121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.8.2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा शासकीय अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर